

परिशिष्ट—एक
(परिपत्र दिनांक 12.3.97 के निर्देश क्र. 3 देखें)

अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन—पत्र

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुविभाग
जिला (म0प्र0)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण/ शासन द्वारा देय अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:-

1. आवेदक का पूरा नाम (अ)
- आवेदक के पिता का पूरा नाम (ब)
- उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक से संबंध जिसके लिये प्रमाण पत्र की आवश्यकता है(उसका नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि) नाम
पिता का नाम
जन्म तिथि
आवेदक से संबंध
3. धर्म
4. जाति एवं उप जाति जाति.....
उपजाति
5. निवास का पूरा पता :
(ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील, जिला सहित)
(अ) वर्तमान पता :
.....
.....
.....

(ब) स्थाई पता :
.....
.....
.....
6. आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवासरत है?
7. यदि उक्त कॉलम नं0—6 में उल्लेखित तिथि दिनांक 26—12—1984 के बाद की है तो —
(अ) मध्यप्रदेश में आने के पूर्व की स्थिति में निवास का पूरा पता
.....

(ब) उक्त तिथि को वहाँ निवास करने वाले परिवार के मुखिया का नाम और आवेदक से संबंध.

(स) यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान परिवर्तन किया है तो कहाँ—कहाँ रहे उसका पता एवं अवधि
.....
.....

8. राज्य शासन द्वारा घोषित की गई अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में जाति/उपजाति/वर्ग समूह का क्रमांक.(यदि ज्ञात हो तो)

9. व्यवसाय – माता, पिता/पति यदि निम्नांकित में से कोई पद धारण करते हों तो जानकारी दी जाए :—

	स्थिति	माता	पिता/पति
क	सर्वेधानिक पद		
	पदनाम		
ख.	शासकीय सेवा (केन्द्र/राज्य)		
	पदनाम		
	वेतनमान (पद की श्रेणी सहित, यदि हो)		
	पद पर नियुक्ति का दिनांक		
	प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के समय आयु.		
ग.	सार्वजनिक उपकरणों आदि में सेवा		
	संगठन का नाम		
	पदनाम/श्रेणी		
	वेतनमान		
	पद में नियुक्ति की तिथि		
घ.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र, संगठन एवं यूनीसेफ आदि की सेवा।		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा अवधि (तिथि अंकित करें दिनांक से तक)		
ड.	मृत्यु/स्थायी अक्षमता		
	अधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने से सेवा से हटने की तिथि		
	स्थायी अयोग्यता का विवरण		
च.	सशस्त्र सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बल (इस श्रेणी में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जो सिविल पद धारण करते हों)		
	पदनाम		
	वेतनमान		

10. यदि व्यापार/उद्योग/व्यवसाय या अशासकीय सेवा करते हों तो उसका विवरण :—

- (क) स्वयं का व्यवसाय (यदि वयस्क है तो)आय
- (ख) माता का व्यवसायआय
- (ग) पिता/पति का व्यवसायआय

11. सम्पत्ति का स्वामी –

- (अ) कृषि भूमि (माता, पिता एवं अवयस्क बच्चों के) स्वामित्व मे
- (i) सिंचित भूमि का क्षेत्रस्थान
- (ii) असिंचित भूमि का क्षेत्रस्थान
- (iii) वृक्षारोपण का क्षेत्रस्थान

(उपरोक्त को राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, जो तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न हो)

..3..

(ब) शहरी क्षेत्र में अथवा शहरी जमाव (Urban agglomeration) में भवन सम्पत्ति अथवा रिक्त भू-खण्ड—

- (i) सम्पत्ति का स्थान
- (ii) सम्पत्ति का विवरण
- (iii) सम्पत्ति के उपयोग का प्रयोजन

12. आय/सम्पत्ति (Income/wealth) –

- (i) सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय
(कृषि वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर)
- (ii) क्या आवेदक करदाता है ?(हॉ / नहीं)
(यदि हॉ तो गत तीन वर्षों की आय कर विवरण की प्रति संलग्न की जाए)
- (iii) क्या आवेदक पर सम्पत्ति कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? (हॉ / नहीं)
(यदि हॉ तो विवरण देवें)
- (iv) अन्य कोई विवरण
-
-
-

टीप :- (1) जाति तथा निवास के प्रमाण हेतु संबंधित सरपंच/पार्षद/नगरीय निकाय के अध्यक्ष/विधायक/सांसद में से किसी एक के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/भाई/बहिन/दादा का जाति प्रमाण पत्र/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल सम्पत्ति का रिकार्ड यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। अन्यथा राजस्व अधिकारी पंचायत/वार्ड रिकार्ड से पुष्टि करें।
 (2) आवेदक/उनके पालक/अभिभावक स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधा से तत्काल वंचित किया जाए, उसकी ब्याज सहित वसूली की जाए और दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है एवं मैं अन्य पिछड़े वर्ग में “क्रीमीलेयर” (सम्पन्न वर्ग) की परिधि में नहीं आता हूँ और इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण तथा अन्य घोषित सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ। मैं भली-भौति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के क्रमांक (2) में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

एवं नाम

शपथ-पत्र / घोषणा पत्र

नाम
पिता का नाम
आयु
जाति / (उपजाति सहित)
एवं सूची का क्र. (यदि ज्ञात हो तो)
धर्म
व्यवसाय
पता
.....
.....
.....

मैं शपथपूर्वक कथन / घोषणा करता / करती हूँ कि:-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) के अन्तर्गत जिला.....
(मध्यप्रदेश) के लिये घोषित.....पिछड़ा वर्ग जाति का सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी.....
..... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन-पत्र दिनांक.....
को प्रस्तुत किया गया / जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान / विश्वास के अनुसार
सत्य है।

शपथकर्ता / घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर